—: निर्णय :—

(आज दिनांक— 12/08/26 को घोषित किया गया)

आरक्षी केन्द्र आबकारी विभाग [illegible] अप0क्र0 176/26
प्रकरण क्र0 231/6 [illegible] 30 .... /25

विरुद्ध

आरोपी [illegible]

1— आरक्षी केन्द्र— आबकारी विभाग [illegible] के अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा—34 (1)(अ) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग है।

2— अभियुक्त को उक्त आरोप समरी शीट पर विरचित कर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा—34 (1)(अ) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध पाया गया है।

3— अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। उसका यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त की दशा और [illegible] को दृष्टिगत रखते हुए धारा—34(1) (अ) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत [illegible] न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/— रूपये (अक्षरीय पांच सौ) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

4— अर्थदंड की राशि की अदायगी के व्यतिक्रम मे अभियुक्त को 5 दिवस के कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

5— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा मुद्देमाल 2 ली. अपीलहीन होने से पश्चात् नष्ट की जावे।

6— अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(श्रेया शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा, जिला—राजगढ़ म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(श्रेया शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा, जिला—राजगढ़ म.प्र.